

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या-15/आरोप (बेगूसराय) 02-126/2022-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-3137/रा0, दिनांक-22.08.2022 द्वारा श्री उपेन्द्र कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मटिहानी, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-4789/2018 में दिनांक-17.04.2018 को पारित आदेश के बावजूद अतिक्रमण वाद संख्या-08/17-18 में प्रशंगत भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराने, प्रमण्डलीय लोक शिकायत निवारण प्राधिकार-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के परिवाद (अनन्य संख्या-999986017051802355/1A) में दिनांक 30.11.2018 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने, इसके विपरित अतिक्रमणकारियों को बचाने हेतु अप्रासंगिक न्यायादेशों एवं प्रतिवेदनों को अपने वरीय पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिग्भ्रमित करने जैसे आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-153(15) दिनांक-21.01.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अंचल कार्यालय छातापुर, सुपौल के पत्रांक-370-2 दिनांक-07.02.2023 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-539(15) दिनांक-17.03.2023 एवं पत्रांक-1008(15) दिनांक-22.05.2023 द्वारा समाहर्ता, बेगूसराय से मंतव्य की मांग की गई जिसके आलोक में समाहर्ता, बेगूसराय द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया जिसकी समीक्षोपरान्त बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं समाहर्ता, बेगूसराय से प्राप्त मंतव्य के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प सं0-1511(15) दिनांक-03.08.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें अपर समाहर्ता, बेगूसराय को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर बेगूसराय को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, बेगूसराय के पत्रांक-12, दिनांक-06.02.2026 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का सुस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें सभी आरोपों को प्रमाणित अंकित किया गया।

5. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "एन0पी0एस0 के तहत देय उपादान की राशि से 02(दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव के समुतल्य राशि की कटौती का दंड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री उपेन्द्र कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मटिहानी, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त अंचल अधिकारी, छातापुर, सुपौल के विरुद्ध "एन0पी0एस0 के तहत देय उपादान की राशि से 02(दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव के समुत्पन्न राशि की कटौती का दंड" अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(गिरधारी लाल),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ई-मेल/
स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक:-15/आरोप (बेगूसराय) 02-126/2022-.....(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्ता, बेगूसराय एवं सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेगूसराय एवं सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/श्री उपेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त अंचल अधिकारी, छातापुर, सुपौल (गृह पता-दुर्गा कॉलोनी, राज हाई स्कूल रोड, पाकुड़, वार्ड नं०-3, जिला-पाकुड़ (झारखंड) पिन-816107) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(गिरधारी लाल),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-15/आरोप (बेगूसराय) 02-126/2022-1345(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-24/8/24
प्रतिलिपि :-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड पर यथोचित कार्रवाई करते हुए प्रशाखा-15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

(गिरधारी लाल),

सरकार के संयुक्त सचिव।